राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 75/2019
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2019/00096
दायर दिनांक– 11.12.2019
निर्णय दिनांक– 05.07.2023

उनवानी– आनन्दीलाल बनाम कमला

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री शांतिलाल ढेल प्रार्थी अधि0
2. श्री गोपीराम जाट अप्राथी अधि0

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 34, 35, 36 कुल रकबा 4.9428 हैक्ट0 भूमि वाकै ग्राम मोरडी पटवार हल्का मोरडी, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार निहित है। उक्त भूमि का बंटवारा नहीं होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद–फसाद होते रहते है। प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को उनके परिवारजन को उनके कब्जे–काश्त, व अन्य कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में जवाब पेश किया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब को बहस के तथ्य मानने हेतु निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया । वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त व अन्य कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म किये जाने के आदेश फरमावे। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया प्रार्थीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर बंटवारा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश किया है , जो खारिज करने योग्य है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष के मध्य मूल वाद–पत्र में बंटवारे हेतु सहमति जाहिर की है, इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने खारिज किया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

05.7.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)